कार्यवृत्त

शुक्रवार, 19 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1939

(दिनांक : 09 जून, 2017)

खण्ड–48
अंक–4

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

नेता प्रतिपक्ष ने संकल्प पारित होने के उपरान्त भी गैरसैंण में सत्र न कराए जाने के संबंध में नियम 310 की सूचना को लिए जाने का अनुरोध किया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल होने दें, उसके पश्चात उक्त सूचना पर विचार किया जा सकेगा।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 22 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से वे 7 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। निम्नांकित स्वीकृत सूचनायें उनके सम्मुख अंकित माननीय सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयीः–

1. श्री महेन्द्र भट्ट	जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में निर्माणाधीन स्टेडियम के क्षतिग्रस्त होने से आ रहे मलवे के कारण आवासीय भवनों को हो रहे खतरे के सम्बन्ध में।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण के धुनारघाट बाजार तथा बस्ती को द्वारीगाड़ गधेरे के भू–स्खलन, कटाव व वर्षात् में नदी बढ़ने के कारण भारी जनहानि तथा बस्ती को भारी खतरे से जनता में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में।
3. श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी **(पढ़ी हुई मानी गई)**	विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत बनबसा के कठुवापाती में औद्योगिक क्षेत्र निर्माण के सम्बन्ध में।
4. श्री दीवान सिंह बिष्ट **(पढ़ी हुई मानी गई)**	विधान सभा क्षेत्र रामनगर में रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में ब्लड बैंक सुचारू रूप से आरम्भ करने के सम्बन्ध में।
5. श्रीमती मीना गंगोला **(पढ़ी हुई मानी गई)**	विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत देवराड़ी पंत से वासुकीनाग मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।
6. श्री संजय गुप्ता **(पढ़ी हुई मानी गई)**	जनपद हरिद्वार के लक्सर में बस स्टैण्ड के निर्माण के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–310 के अन्तर्गत 01 सूचना प्राप्त हुई है, वे इसे नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी के घनसाली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत केदारनाथ धाम को जोड़ने वाला प्राचीन पैदल मार्ग भटवाड़ी–घुत्तू–पंवाली–काण्ठा–त्रियुगीनारायण मोटर मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री केदार बर्त्वाल, ग्राम गंवाणा मल्ला पो0 घुत्तू भिलंग, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी के घनसाली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रा0प्रा0वि0 भटवाड़ा नैलचामी के भवन निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री कपिल देव बडोनी ग्राम–भटवाड़ा, नैलचामी टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी के घनसाली विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र में स्थित इण्टरमीडिएट कालेज श्री नवजीवन आश्रम घुत्तू के 10 पदों के सृजन के सम्बन्ध में'' श्री केदार बर्त्वाल ग्राम गंवाणा मल्ला, पो0– घुत्तू भिलंग, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी के घनसाली विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा घनसाली–घुत्तू मोटर मार्ग व ए0डी0बी0 के छितियारा–खवाड़ा मोटर मार्ग पर घटिया निर्माण कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री शूरवीर सिंह रावत, ग्राम–खिरखेल, पो0–कण्डारस्यूं, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत भिलंग घाटी में अनेक पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर विकसित करने के सम्बन्ध में'' श्री केदार बर्त्वाल, ग्राम–गंवाणा मल्ला, पो0–घुत्तू भिलंग, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 में 04 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, वे इनमें से 03 सूचनाओं को स्वीकार कर रहे है।

गैरसैंण में आयोजित विधान सभा सत्र में संकल्प पारित होने के उपरान्त भी गैरसैंण में विधान सभा का बजट सत्र न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–310 की सूचना को नियम–58 में ग्राह्यता पर मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा मा0 सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट विपक्ष के सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

राज्य सरकार के कार्मिकों के लिये यू–हैल्थ स्मार्ट कार्ड की सुविधा पुनः बहाल किये जाने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर श्री हरीश सिंह ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर के अन्तर्गत खराब पड़े हैण्ड पम्पों की मरम्मत एवं जिन हैण्ड पम्पों से दूषित पानी आ रहा है, उनका सर्वेक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर श्रीमती ममता राकेश ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत पिरान कलियर में क्षतिग्रस्त गंगनहर पुल के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर श्री फुरकान अहमद ने विचार व्यक्त किये। पर्यटन मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरणः—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, मा0स0वि0स0	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए, प्रदेश के प्रत्येक गांव/तोकों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।''
2. श्री चन्दन राम दास, मा0स0वि0स0	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य शराब व व्यसन मुक्त हो तभी देव भूमि की कल्पना साकार होगी।''
3. श्री शक्ति लाल शाह, मा0स0वि0स0	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया ''बाल गंगा विकास खण्ड'' बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''
4. श्री भरत सिंह चौधरी, मा0स0वि0स0	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।

सदन की कार्यवाही 01 बजकर 10 मिनट पर 03:00 बजे तक भोजनावकाश के लिये स्थगित हुई।

श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही 03:00 बजे पुनः आरम्भ हुई।

वित्तीय वर्ष 2017—18 के आय—व्ययक पर चर्चा नेता प्रतिपक्ष के भाषण से प्रारम्भ हुई। चर्चा में निम्न मा0 सदस्यों ने भी विचार व्यक्त किये:—

1. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
3. श्री महेन्द्र भट्ट
4. श्री मगन लाल शाह
5. श्री नवीन दुम्का

श्री अध्यक्ष ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम– 53 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनायें प्राप्त हुई है, वे इनमें से–

मा0 सदस्य श्री राजकुमार ठुकराल की सूचना जो जनपद ऊधमसिंह नगर के जिला मुख्यालय रूद्रपुर में ट्रेंचिंग ग्राउण्ड निर्माण हेतु सरकार द्वारा भूमि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिये एवं

मा0 सदस्य श्री यतीश्वरानन्द की सूचना जो विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में स्थित पुरानी हरिद्वारी नामक 05 किलोमीटर सड़क मार्ग के पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहे है।

शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

05 बजकर 05 मिनट पर सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 12 जून, 2017 के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेमचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।